DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 23 मई 2023

₹17180 में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक साल की मिलेगी मेंबरशिप!

द्वारका सेक्टर-17 में बन रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

द्वारका सेक्टर-17 में बन रहा डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुलाई में शुरू हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार इसके लिए मेंबरशिप फीस सीरीफोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जितनी ही रह सकती है। अभी द्वारका में डीडीए का सिर्फ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसकी मेंबरशिप भी फुल है। लिहाजा लोगों को काफी परेशानियां होती है। काफी लंबे समय से लोगों को इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शुरू होने का इंतजार है।

डीडीए अधिकारी के अनुसार इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए कोच और ट्रेनर रखने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली जल बोर्ड से पानी के कनेक्शन की मंजूरी भी मिल गई है। इसे 2022 में ही तैयार हो जाना था, लेकिन कई परमिशन न मिलने की वजह से काम में देरी हुई। उम्मीद है कि जुलाई तक इसे शुरू कर दिया जाएगा। सभी सर्विसेज और सुविधाओं की फाइनल टेस्टिंग का काम चल रहा है। स्वीमिंग पूल के फिल्टरेशन सिस्टम, विभिन्न कोर्ट की सतह, क्रिकेट पिच आदि की फाइनल टेस्टिंग का काम चल रहा है। फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड तैयार हैं। वहीं, इंडोर बैडमिंटन और स्क्वेश कोर्ट भी तैयार हैं। जिम में मशीनें भी लग चुकी हैं। डीडीए का यह 15वां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। यह 23.7 एकड़ में तैयार हो रहा है।

File Photo

23.7 एकड़ में तैयार हो रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

15 वां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा यह डीडीए का

सीरीफोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ये है फीस, द्वारका में भी इतनी ही हो सकती है

- ₹5060 देने पड़ते हैं तीन महीने की मेंबरशिप के लिए भारतीय नागरिकों को
- ₹10120 देने पड़ते हैं तीन महीने की मेंबरशिप के लिए विदेशी नागरिकों को
- ₹100 डेली बुकिंग के लिए देने पड़ते हैं
- ₹17180 आम लोगों के लिए एक साल की मेंबरशिप फीस
- ₹12270 सरकारी अधिकारियों की एक साल की मेंबरशिप फीस है
- ₹42950 तीन साल की मेंबरशिप फीस है
- ₹75170 लगते हैं पांच साल की मेंबरशिप लेने के लिए

अभी स्थायी सदस्यता नहीं

डीडीए के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों को स्थायी सदस्यता नहीं दी जाएगी। उन्हें एक, तीन और पांच साल के लिए सदस्यता दी जाएगी। इसके अलावा तीन महीने की सदस्यता के साथ यहां डेली बुकिंग भी हो सकेगी।

किन-किन खेलों की मिलेगी सुविधा

क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, नेटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग, स्केट पार्क। इंडोर ग्रेम्स में बैडमिंटन, स्क्वेश, बॉक्सिंग, एरोबिक्स, क्यू गेम्स (बिलियर्ड, स्नूकर आदि), मार्शल आर्ट, योग आदि की सुविधा होगी। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कैफेटेरिया, गोल्फ कोर्ट पार्किंग एरिया, पविलियन, जनसुविधाएं आदि की सुविधाएं हैं। पार्किंग बेसमेंट में बन रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 23 मई 2023

भारी विरोध के बीच कस्तूरबा नगर की झुग्गियों में चला DDA का बुलडोज़र

HC के आदेश पर शिवम अपार्टमेंट के पास 60 फुटा रोड पर हुई कार्रवाई

■ कृष्णा कुणाल सिंह, विश्वास नगर

विश्वास नगर स्थित ब्लॉक नंबर 18 स्थित शिवम अपार्टमेंट के पास 60 फुटा रोड पर कस्तूरबा नगर की 35 से 40 झुग्गियों को सोमवार को कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने तोड़ दिया। नाराज लोगों ने शिवम एनक्लेव के लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया। करीब आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिस पर पुलिस ने काबू पाया। सुरक्षा के लिहाज से अभी मौके पर जवान तैनात हैं।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार सुबह 60 फुटा रोड स्थित कस्तूरबा नगर झुग्गियों को तोड़ने के लिए डीडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। सुबह सात बजे कार्रवाई शुरू की। काफी लोगों ने अपने घर से सामान भी नहीं निकाला था। मौके पर अर्धसैनिक बल की आठ कंपनियां, स्थानीय पुलिस के अलावा और कई थानों से जवान मौजूद रहे। दोपहर करीब डेढ़ बजे तक 35 से 40 अवैध झुग्गियों को तोड़ दिया गया। इस दौरान लोगों ने विरोध भी जताया और आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों से लोगों को दूर हटा दिया।

कई साल से कर रखा था अतिक्रमण: स्थानीय विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि कई साल से यहां पर लोगों ने गलत तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। डेढ़ साल पहले उन्होंने द्वारका इलाके में करीब 80 से 90 लोगों को वन बीएचके का फ्लैट सरकार की तरफ से बनावाकर बसाया था। बाकी लोगों ने यहां पर गलत तरीके से कब्जा कर रखा था। वहीं शिवम एनक्लेव के पूर्व आरडब्ल्यूए अध्यक्ष शंटी ग्रोवर ने बताया कि इनके अतिक्रमण के कारण आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। अतिक्रमण के चलते लोग अपनी गाड़ियां भी यहां से नहीं निकाल पाते थे।

Photos: Surender Kumar

नाराज लोगों ने आधा दर्जन गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़

सुरक्षाकर्मियों ने हालात पर पाया काबू, तैनात किए जवान

35 से 40 झुग्गियों को तोड़ा गया, अर्धसैनिक बल की आठ कंपनियां, कई थानों की पुलिस के जवान मौजूद रहे

चिलचिलाती धूप में इधर उधर भटक रहे हैं लोग

झुग्गी नंबर 18 में रहने वाले विजय सिंह ने बताया कि उनका परिवार पिछले 45 साल से यहां रह रहा था। वह रिक्शा चलाकर अपना परिवार चलाते हैं। उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ ही है, लेकिन चंद घंटे में ही प्रशासन ने सड़क पर ला दिया। वहीं झुग्गी नंबर 23 में रहने वाले 32 वर्षीय दीपक ने बताया कि भारत पाक बंटवारे के दौरान से उनका परिवार यहां पर रह रहा है। उन लोगों ने कई बार हाउस टैक्स भी भरा है, लेकिन एक बार बाढ़ आने के कारण सारे कागजात बह गए। डीडीए ने उन्हें सामान निकालने का भी समय नहीं दिया।

उधर, झुग्गी नंबर 24 में रहने वाले 27 वर्षीय विक्रम ने बताया कि पिछले 50 साल से उनका परिवार यहां पर रह रहा है। परिवार में पांच लोग हैं जबकि उनकी ताई के परिवार में सात लोग हैं। सभी लोगों के रहने सारे कागजात हैं। बिना किसी दूसरी जगह उन लोगों की व्यवस्था करें उनके घर तोड़ दिए गए।

कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने कड़ा विरोध जताया, सुरक्षाकर्मियों ने किया काबू

कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर अर्धसैनिक बल की आठ कंपनियों को तैनात किया गया था। स्थानीय पुलिस के अलावा आसपास के अन्य थानों से भी पुलिस बल मौजूद रहा। अब पूरी तरह से मामला अंडर कंट्रोल है। *-रोहित मीणा, डीसीपी शाहदरा*

डीडीए एक हफ्ते के लिए टाले अपनी कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

■ विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से कहा है कि वह पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में उनकी जमीन पर बने कथित अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन को गिराने की कार्रवाई एक हफ्ते के लिए टाल दे। कोर्ट ने कहा है कि वहां रहने वाले लोग कहीं और जा सकें इसके लिए कार्रवाई एक हफ्ते तक के लिए टाली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में विश्वासनगर में रहने वाले कुछ लोगों ने अर्जी दाखिल कर अपील दाखिल की है।

- कोर्ट ने कहा, इस दौरान लोग कहीं और तलाशें जगह
- विश्वास नगर के कुछ लोगों ने दायर की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं पाई है, जिसमें हाई कोर्ट ने डीडीए को अतिक्रमण हटाने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान डीडीए को नोटिस जारी कर कहा कि वह जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले में सुनवाई करेगा।

साथ ही कोर्ट ने सोमवार को डीडीए से अतिक्रमण की कार्रवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित करने को कहा है, ताकि 800 से ज्यादा अवैध यूनिट में रहने वाले लोग कहीं और जगह तलाश कर सकें।

अगली सुनवाई में कोर्ट इस बात को देखेगा कि वहां रहने वाले लोग पुनर्वास के हकदार हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक वहां रहने देने के अधिकार का सवाल है तो हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। हम मानवीय पहलू पर ध्यान देते हुए एक हफ्ते के लिए कार्रवाई को टालते हैं और वहां रहने वाले लोगों को सात दिन का वक्त दिया जाता है ताकि वह अन्य जगह तलाश लें।

कोर्ट ने कहा कि उसके बाद यानी 29 मई के बाद डीडीए के लिए ओपन होगा कि वह कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकती है। डीडीए के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस आदेश के बारे में तुरंत अथॉरिटी को बताएं ताकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकी जा सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS E TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, MAY 23, 2023 DATED

Forest dept to make boundary walls near Ridge areas to protect wildlife

Priyangi.Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi forest and wildlife department has decided to modify the boundary wall of Ridge areas to prevent illegal entry of encroachers or local people who dump waste there.

Some Ridge areas have been reclaimed after encroachments were removed and the forest department also has acquired forest land in the past few years.

Such areas do not have boundary walls. Forest officials said boundary walls will be constructed at such places and a small passage will be provided for movement of reptiles or other wild animals. Besides, the stone walls will be repaired at the sites where they are broken.

A Delhi forest department study, titled 'Delhi's forest at a glance', stated that the Delhi Ridge, having an extent of 7,784 hectares, refers to the extension of the Aravalli, the oldest mountain chain in the country. The rocky outcrop enters Delhi from Haryana near Tughlakabad, Bhatti, Dera Mandi areas and moves north, covering parts of Delhi Cantonment and Lutyens Delhi and ends near Timarpur, north of Delhi University. Around a 35-km stretch of the Ridge forest falls under the Delhi government.

A senior forest official said: "In some areas, like the Southern Ridge, the stone boundary walls look similar to the walls of private farmhouses. We have decided to put up a logo of the forest and wildlife department so that all passers-by are aware that the area is a forest."

The official added that new boundary walls will be constructed in those areas which have been recently freed of encroachment.

"We will soon invite tenders for construction or repairs of the boundary walls," a forest official said.

Sonya Ghosh, an activist who had filed a petition before the National Green Tribunal demanding demarcation and removal of encroachments from the Aravalli Ridge area in Delhi, Rajasthan and Haryana, said: "Delhi still has Ridge patches which have been encroached upon. There are two types of encroachers — rich who have built farmhouses and have filed a case in court against encroachment notices and the poor who have nowhere else to go. Since the Ridges are the home of wild animals, it could lead to man-animal conflict if people live in the Ridge areas."

Ghosh added that it was good that the forest department was demarcating the Ridge areas in Delhi and constructing boundary walls.

PROTECTING THE GREEN COVER

Photo: Sanjeev Rastogi

Delhi forest department to modify boundary walls of all ridges

New boundary walls to come up at places that don't have one

Stone walls to be painted or marked in Southern Ridge

About Delhi Ridge

Ridge	Area (ha)	Managing agencies
Northern	170.7	DDA, MCD and forest department
Central	864 (approx)	Forest department, DDA, Army, CPWD, NDMC, MCD
South Central	626 (approx)	DDA
Southern	6,200 (approx)	Forest department, DDA, Sports Authority of India, revenue department
Nanakpura South Central	7 (approx)	DDA
Total	**7,867**	

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, MAY 23, 2023 ---------DATED----------

In blazing heat, anger and tears over demolition

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority on Monday demolished eight permanent structures during an anti-encroachment drive in Vishwas Nagar in east Delhi. With some residents taking the matter to the Supreme Court and obtaining a stay order, the demolition was halted around 12.30pm.

DDA's notice to the residents to vacate their houses has left them angry. The slum dwellers, given a week's time to remove their belongings, claimed to have been living there for decades, all the while paying property tax as well and electricity and water bills. Saying it was unfair to be deprived of their homes, the residents have asked DDA to provide alternative sites for houses. Many families in the colony claimed to have migrated from Pakistan and started living in the area since the 1970s.

DDA said it began the encroachment drive at Vishwas Nagar at 6.45am on Monday. "During the demolition, five pucca structures were removed completely and three pucca structures were removed partially. The demolition was stopped at 12:25pm after receiving information from the higher authorities as well as the panel lawyer/DDA stating that the Supreme Court has given seven days to the petitioner (Kasturba Nagar Residents Welfare Association) to vacate the premises on humanitarian grounds. After seven days, the authorities are free to take over possession," a DDA statement said.

Gurdayal Singh, 96, was among the people whose properties were demolished. "For the last 60 years, four houses have stood here. We never received any notice for illegal construction," Singh said. "I have been paying property tax, electricity and power bills regularly. In 2020, DDA started sending notices saying that the land belonged to them and we had encroached on it. Today, we have become homeless and don't know where to go."

Niranjin Devi was in tears. "We asked the authorities to give us time to remove our belongings, but they turned a deaf ear to us. Our goods are still inside the partially damaged houses," she claimed. "I have a three-year-old son who was operated on recently. It is with difficulty that I have managed to rent a room, but it will cost me Rs 10,000 a month which I cannot afford to pay."

Aanchal, another affected slum jeweller, said that most of the residents in the area were daily-wage earners working as hawkers, auto-rickshaw drivers, etc. "If we do not work for even a day, we have nothing to eat in the evening," he said.

DDA officials said there were major illegal encroachments on the 60-ft road in Vishwas Nagar about which people had approached Delhi High Court but failed to get a stay. DDA plans to clear the road connecting it to road No 57 and 58. Asked about a municipal school on the road, the officials admitted that the matter of removing the school hadn't been decided yet.

Photos: Sanjeev Rastogi

The slum dwellers, given a week to remove their belongings, claimed to have been living there for decades, all the while paying property tax and electricity and water bills

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times ----------DATE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 23 मई 2023

SC stays demolition drive in E Delhi's Vishwas Nagar

Abraham Thomas
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Monday directed the Delhi Development Authority (DDA) to halt demolitions in Vishwas Nagar for a week on humanitarian grounds.

The matter was mentioned before the Supreme Court's vacation bench of justices Aniruddha Bose and Sanjay Karol before the demolition began at 8am on Monday.

"So far as the right of members of petitioners to reside at the dwelling place is concerned, we do not wish to interfere with the order passed by the Delhi high court," said the bench. "On humanitarian considerations, we are inclined to grant them seven days to vacate the premises. In case they fail to vacate by May 29, it will be open to DDA, with the help of such agencies required to carry out demolitions, to resume the demolition activities."

DDA's lawyer Sunieta Ojha told the top court that the high court on March 14 dismissed a petition of the residents and ordered demolition after considering all their claims. She said the same claims were now being revived after two months.

Security deployment amid demolition drive at Kasturba Nagar, near Vishwas Nagar in New Delhi on Monday RAJ K RAJ/HT PHOTO

Residents of Vishwas Nagar's Kasturba Nagar colony said they were seeking rehabilitation before being removed. They maintained they have valid identity documents.

The court also agreed to consider rehabilitation. It issued notices to the DDA and the Delhi Urban Shelter Improvement Board, the agency responsible for the rehabilitation. The petitioners said that their colony has not been categorised as a registered slum due to which the authorities refused to consider their rehabilitation. The bench agreed to take up the case in the second week of July.

The DDA last week issued notices about the demolition from May 22 to 24 in line with the high court's direction.

'पेड़ों से राजधानी को हो रहा करोड़ों का फायदा'

■ **विस, नई दिल्ली :** अंतरराष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीयू की प्रोफेसर यामिनी गुप्ता ने दावा किया कि अकेले अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में लगे पेड़ों से राजधानी को 15 करोड़ रुपये का फायदा हो रहा है। यह प्रदूषण में कमी के रूप में लोगों को मिल रहा है। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक स्टूडेंट्स, शिक्षकों, डीयू और होली चाइल्ड ऑक्सीलियम स्कूल के स्टूडेंट, डीडीए के अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में चीफ वाइल्डलाइफ वॉर्डन सुनील बब्बर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने हरियाली से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक भास्कर DATED 23/5/23

विश्वास नगर में डीडीए की जमीन पर बनीं इमारतों पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली | विश्वास नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान साइट पर मलबे के पास जमा हुए कॉलोनी के लोग। हाईकोर्ट ने इलाके में 800 से अधिक अवैध रिहायशी इकाइयों को गिराने की अनुमति दी थी।

पंजाब केसरी

विश्वास नगर में 800 मकानों को 7 दिन की राहत

पंजाब केसरी/नई दिल्ली

- डीडीए की जमीन पर बने मकानों को खाली करने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सोमवार को निर्देश दिया कि वह पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में उसकी जमीन पर बनी 800 से अधिक कथित अवैध आवासीय इकाइयां गिराने के अपने अभियान को एक सप्ताह के लिए रोक दे ताकि निवासी किसी और जगह जा सकें। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ ने डीडीए को अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल एवं खंड पीठों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं पाई। न्यायालय में वकील सुनीता ओझा ने डीडीए का प्रतिनिधित्व किया। पीठ ने डीडीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले पर विचार करेगी कि जिन निवासियों को उनकी आवासीय इकाइयों से हटाए जाने का अनुरोध किया गया है, वे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत भू-स्वामी एजेंसी द्वारा पुनर्वास किए जाने के हकदार हैं या नहीं। उसने अपने आदेश में कहा, ''हमें यह सूचित किया गया है कि ध्वस्तीकरण का काम आज सुबह आठ बजे शुरू हो गया। जहां तक वर्तमान निवास स्थल पर रहने के अधिकार का संबंध है, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते।'' पीठ ने कहा, ''हम मानवीय आधार पर उन्हें संबंधित परिसर 29 मई, 2023 तक खाली करने के लिए सात दिन का समय देते हैं और इसके बाद डीडीए को किसी एजेंसी की मदद से विध्वंस संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति होगी।''

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS अमर उजाला DATED 23/5/23

जीवनदायी साबित हो रहे दिल्ली के जैव विविधता पार्क

विश्व जैव विविधता दिवस : हरियाली बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन को रोकने में भी मिली कामयाबी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जैव विविधता पार्क देश की राजधानी दिल्ली के इको सिस्टम लिए जीवनदायी साबित हुए हैं। हरियाली बिखरने के साथ इनमें साल दर साल जैव विविधता भी बढ़ती गई है। इस मामले में फर्क यहां जलीय व स्थलीय पौधों व जीवों के बीच नहीं है। दोनों तरह की जीवों व वनस्पतियों की संख्या में इजाफा हुआ है। विश्व जैव विविधता दिवस पर सोमवार को डीडीए अरावली जैव विविधता पार्क में आयोजित कार्यक्रम में इससे जुड़े आंकड़े भी पेश किए गए।

आंकड़ों के मुताबिक, देश का सबसे पहला जैव विविधता पार्क दिल्ली में 2002 में बना। यमुना जैव विविधता पार्क में उस वक्त स्थलीय पौधों की संख्या 90 व जलीय पौधों की शून्य थी। इस वक्त दोनों का आंकड़ा क्रमशः 900 व 100 से भी ऊपर चली गई है। इस पार्क में मछलियों, तितलियों, स्तनधारियों व सरीसृप समेत दूसरे प्रजाति की संख्या भी बढ़ी है। यही स्थिति दिल्ली के दूसरे सात जैव विविधता पार्कों की में भी है। हरियाली बढ़ाने के साथ पार्क कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी कामयाब हुए हैं।

देश में जैव विविधता पार्क का कॉसेप्ट देने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांलसर प्रो. सीआर बाबू ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल की थीम 'समझौते से कार्रवाई तक : जैव विविधता का निर्माण' तय की है, जबकि भारत 21वीं सदी की शुरुआत से ही इस पर काम कर रहा है। मतलब यह कि यूएनओ से 20 साल पहले से ही अपने देश में इस पर काम चल रहा है। इसका नतीजा भी सबके सामने है।

डीडीए व दिल्ली सरकार के अधिकारी भी रहे मौजूद

अरावली में आयोजित कार्यक्रम में डीडीए के उपनिदेशक संतोष खंडोरकर, दिल्ली सरकार के सुनील बक्सी समेत बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी मौजूद थे। जैव विविधता पार्क के इंचार्ज फैय्याज ए खुदसर ने कहा कि हमारे जीवन में हवा और पानी के महत्व और इन प्राकृतिक संसाधनों को बनाने में जैव विविधता की अहम भूमिका है।

विश्वास नगर के अवैध घरों को नहीं गिरा पाएगा डीडीए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के विध्वंस अभियान पर सात दिन के लिए लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में उसकी जमीन पर बने 800 से अधिक कथित अवैध आवासों को गिराने के लिए चल रहे अभियान को एक सप्ताह रोकने का निर्देश दिया। ताकि निवासियों को वहां से स्थानांतरित किया जा सके।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की अवकाश पीठ ने, हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट की एकल और खंडपीठों के आदेशों में डीडीए को अतिक्रमण हटाने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देने में कोई गलती नहीं पाई। पीठ ने डीडीए की वकील सुनीता ओझा से कहा, जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा कि क्या जिन लोगों के घरों को हटाया जा रहा है वे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत पुनर्वास के हकदार हैं कि नहीं।

पीठ ने आदेश में कहा, हमें बताया गया है कि आज सुबह 8 बजे से घरों को ढहाने का काम शुरू हुआ है। जहां तक याचिकाकर्ता सदस्यों के अपने वर्तमान निवास स्थान पर रहने के अधिकार का संबंध है, हम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मानवीय आधार पर, हम उन्हें 29 मई तक संबंधित परिसर खाली करने के लिए सात दिन का समय देते हैं। इसके बाद डीडीए वहां घर गिराने के लिए स्वतंत्र होगा। पीठ ने डीडीए की वकील को आदेश के संबंध में अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया ताकि विध्वंस अभियान तुरंत रोका जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा नगर इलाके के कुछ निवासियों की याचिका पर आया। इन लोगों ने याचिका में डीडीए के 18 मई को जारी विध्वंस नोटिसों पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल 14 मार्च को डीडीए के विध्वंस के कदम को रोकने से मना कर दिया था, जबकि जमीन के मालिक हक वाली एजेंसी की दलील से सहमत थे कि निवासी अतिक्रमणकारी थे। एजेंसी

विश्वास नगर में तोड़े गए अवैध घर। एजेंसी

टैटू के कारण कांस्टेबल पद के अयोग्य करार महिला भारोत्तोलक की फिर मेडिकल जांच के निर्देश

महिला ने उच्च न्यायालय में दी थी चुनौती

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को उस महिला भारोत्तोलक की नए सिरे से मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया है जिसे हाथ पर बने टैटू की वजह से हेड कांस्टेबल पद के अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी के लिए आवेदन करने वाली महिला भारोत्तलक ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने इस तथ्य के मद्देनजर फिर से मेडिकल बोर्ड गठित करने और नए सिरे से जांच का निर्देश दिया कि अब उसने टैटू हटवा दिया है। एजेंसी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। मंगलवार • 23 मई • 2023

DATED

राष्ट्रीय सहारा www.rashtriyasahara.com

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास नगर में मकान गिराने की मुहिम सात दिन रोकी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सोमवार को निर्देश दिया कि वह पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में उसकी जमीन पर बनी 800 से अधिक कथित अवैध आवासीय इकाइयां गिराने के अपने अभियान को एक सप्ताह के लिए रोक दे ताकि निवासी किसी और जगह जा सके।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ ने डीडीए को अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल एवं खंड पीठों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं पाई। न्यायालय में वकील सुनीता ओझा ने डीडीए का प्रतिनिधित्व किया। पीठ ने डीडीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले पर विचार करेगी कि जिन निवासियों को उनकी आवासीय इकाइयों से हटाए जाने का अनुरोध किया गया है, वे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत भू-स्वामी एजेंसी द्वारा पुनर्वास किए जाने के हकदार हैं या नहीं। उसने अपने आदेश में कहा, 'हमें यह सूचित किया गया है कि ध्वस्तीकरण का काम आज सुबह आठ बजे शुरू हो गया। जहां तक वर्तमान निवास स्थल पर रहने के अधिकार का संबंध है, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते।' पीठ ने कहा, 'हम मानवीय आधार पर उन्हें संबंधित परिसर 29 मई, 2023 तक खाली करने के लिए सात दिन का समय देते हैं और इसके बाद डीडीए को किसी एजेंसी की मदद से विध्वंस संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति होगी।' पीठ ने डीडीए की वकील को अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया ताकि विध्वंस अभियान को तुरंत रोका जा सके। यह आदेश पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा नगर इलाके के कुछ निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने 18 मई को जारी किए गए आवासीय इकाइयां गिराने के डीडीए के नोटिस को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस साल 14 मार्च को डीडीए को आवासीय इकाइयां गिराने से रोकने से इनकार कर दिया था।

विश्वास नगर 18 क्वार्टर से विवेक विहार जाने वाले मार्ग पर किए गए अवैध निर्माण पर डीडीए अधिकारियों की कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल और लोगों द्वारा किए गए पथराव में क्षतिग्रस्त कार (दाएं) फोटो : एसएनबी

तोड़फोड़ करने पहुंचे डीडीए के दस्ते के खिलाफ नारेबाजी, पथराव

नई दिल्ली (एसएनबी)। विश्वास नगर 18 क्वार्टर से शिवम एन्क्लेव से होते हुए विवेक विहार तक मार्ग को चौड़ा करने के लिए डीडीए कोर्ट के आदेश पर इन भवनों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। जैसे ही इस कार्रवाई की जानकारी इन मकानों में रहने वाले लोगों को लगी तो उन्होंने डीडीए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। इनके साथ बनी शिवम एन्क्लेव सोसाइटी के अन्दर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है।

शिवम एन्क्लेव सोसायटी के पूर्व प्रधान शंटी ग्रोवर ने बताया कि डीडीए द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है, वह कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि 18 क्वार्टर विश्वास नगर से शिवम एनक्लेव होते हुए विवेक विहार में रोड़ निकलना है। इस मार्ग पर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कर रखा है। लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण व अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सोमवार को डीडीए का गिराऊ दस्ता भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंचा तो उन्होंने डीडीए की इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने हमारी शिवम एन्क्लेव सोसाइटी में खड़ी गाड़ियों पर पत्थर फेंक दिए, जिससे आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

the pioneer
NEW DELHI | TUESDAY | MAY 23, 2023

SC directs DDA to halt Vishwas Nagar demolition drive for week

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Supreme Court on Monday directed the DDA to halt for a week its ongoing drive to demolish over 800 alleged illegal dwelling units built on its land at Vishwas Nagar area of east Delhi to enable residents to relocate.

A vacation bench comprising justices Aniruddha Bose and Sanjay Karol, however, did not find fault with the orders passed by the single and the division benches of the Delhi High Court permitting the Delhi Development Authority (DDA) to go ahead with removal of the encroachments.

While issuing notice to the DDA, represented by lawyer Sunieta Ojha, the bench said it will consider in the second week of July the issue whether the residents, who are sought to be removed from their dwelling units, are entitled for rehabilitation by the land owning agency either under the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act or any other law.

"We are apprised that demolition work has started at 8 AM today. So far as the right of the members of the petitioner to reside at their present dwelling place is concerned, we do not interfere with the Delhi High Court order.

"On humanitarian considerations, we give them seven days to vacate respective premises by May 29, 2023 and then it would be open to the DDA, with the help of such agency, to resume their demolition activities," the bench said in its order.

The bench directed the counsel for the DDA to inform the authorities during the day to immediately stall the demolition drive. The order was passed on a petition filed by some residents of the Kasturba Nagar area falling under Vishwas Nagar locality of east Delhi.

They assail the demolition notices issued by the DDA on May 18. The Delhi High Court, on March 14, this year, had refused to stall the demolition move of the DDA while agreeing with the plea of the land owning agency that the residents were encroachers.